

हिमाचल प्रदेश सरकार  
जनजातीय विकास विभाग

संख्या: टी०बी०डी०(ए)४-४ / २००७

दिनांक, शिमला—१७१००२

१ अप्रैल, २०१७

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद के गठन सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या टी०बी०डी०(ए)४-४ / २००७ दिनांक ०५-०४-२०१३, २३-१०-२०१३ एवं ३०-०३-२०१५ के सन्दर्भ में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जन-जातीय सलाहकार परिषद नियमावली, १९७६ के नियम ३ (१) तथा नियम ९ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जन जातीय सलाहकार परिषद का उन क्षेत्रों के लिए सहर्ष निम्न प्रकार से तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, १९७५ के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। इस परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का होगा:-

१.	श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।	अध्यक्ष
२.	श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
३.	श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
४	श्री रवि ठाकुर, विधायक, लाहौल एवं स्पिति, जिला लाहौल एवं रिप्ति।	सदस्य
५	श्री धर्मदेव नेगी सपुत्र स्व० श्री टण्डूप नेगी, गांव व डाकघर लियो, तहसील पूह, जिला किन्नौर।	सदस्य
६	श्री भागरथ सपुत्र स्व० श्री दूनी चन्द, गांव व डाकघर कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर।	सदस्य
७	श्री राजकुमार सपुत्र स्व० श्री सुल्तान सिंह, गांव व डाकघर काफनू तहसील निचार, जिला किन्नौर।	सदस्य
८	श्री प्रेम नेगी सपुत्र स्व० श्री जैनी राम, गांव व डाकघर मूरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर।	सदस्य
९	श्री हिम्मत सिंह नेगी, सपुत्र स्व० श्री गंगा राम, गांव व डाकघर कुप्पा (कामरू) तहसील सांगला, जिला किन्नौर।	सदस्य
१०	श्री निर्मल चन्द नेगी (एडवोकेट) सपुत्र स्व० श्री रत्न चन्द, गांव व डाकघर सुल्तान, तहसील पूह, जिला किन्नौर।	सदस्य

11.	श्री नावांग बौद्ध, गांव शारखांग, डाकघर खोकसर, तहसील केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति ।	सदस्य
12.	श्री प्यारे लाल, गांव व डाकघर टिण्डी, तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति ।	सदस्य
13.	श्री सोहन सिंह, गांव व डाकघर काजा, तहसील स्पिति, जिला लाहौल एवं स्पिति ।	सदस्य
14.	दोरजे छोपल, पूर्व प्रधान, गांव व डाकघर लारा, तहसील काजा, जिला लाहौल स्पिति	सदस्य
15.	श्री किशन चौपडा, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत करयास गंगीथ, डाकघर करयास, तहसील किलाड (पांगी), जिला चम्बा ।	सदस्य
16.	श्री राम चरण, पूर्व अध्यक्ष ऊन संघ,(woolfed) गांव व डाकघर, किलाड, तहसील किलाड (पांगी), जिला चम्बा ।	सदस्य
17.	श्री भजन सिंह ठाकुर, गांव व डाकघर भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ।	सदस्य
18.	श्री शुभ कर्ण, गांव व डाकघर होली, उप तहसील होली, जिला चम्बा ।	सदस्य

2. जन जातीय सलाहकार परिषद में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार पदेन सचिव व आयुक्त जन जातीय संयुक्त पदेन सदस्य होंगे ।

3. कम संख्या 5 से 18 तक अंकित सदस्य उनके मनोनयन की तिथि से नियम 5(2 तथा 3) के अन्तर्गत इस परिषद के, दो वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेंगे परन्तु इन्हें इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, की खुशनूटी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है ।

4. इस परिषद के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार वर्णित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा ।

5. उप-निदेशक ( जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश गैर सरकारी सदस्यों के

...3...

यात्रा भत्ता की अदायगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे।

आदेश द्वारा,  
(वी०सी०फारका)  
मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृष्ठांकन संख्या: टी०बी०डी०(ए)४-४ / २००७

दिनांक शिमला-२,

/ अप्रैल 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२ ।
2. प्रधान मुख्य सलाहकार मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-१७१००२ ।
3. निजि सचिव, अध्यक्ष हि०प्र० विधान सभा, शिमला-१७१००४ ।
4. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-१७१००२ ।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-१७१००२ ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि० प्र० ।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश ।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि०प्र० ।
11. परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी० किन्नौर, केलांग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
12. समस्त सदस्यगण कम संख्या ५ से १८ तक ।
13. संयुक्त सचिव(टी डी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-११०००१ ।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैकटर ९-ए, चण्डीगढ़-१६००१७ ।
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को ५ अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र०, शिमला-५ को उक्त अधिसूचना को हि० प्र० राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु । उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें ।
18. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें ।

  
(प्रमोद सिंह चौहान)  
अवर सचिव (जन जातीय विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन ०१७७२६२२१८८

हिमाचल प्रदेश सरकार  
जनजातीय विकास विभाग

संख्या: टी०बी०डी०(ए)४-४ / २००७

दिनांक, शिमला—१७१००२

१ अप्रैल, २०१७

### अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक १७फरवरी, २०१४ एवं ३०-०३-२०१५ के अनुकम को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित महिलाओं को विशेष आमन्त्रित (Special Invitee)मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

१. श्रीमति सुमना देवी, पल्नि श्री ओम राज,  
गॉव व डाकघर सियुर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिं० प्र०।
२. कुमारी सरोज नेगी, पूर्व अध्यक्षा, पंचायत समिति कल्पा  
गॉव व डाकघर कल्पा, जिला किन्नौर, हिं० प्र०।
३. श्रीमति शशी किरन, अध्यक्षा, महिला कांग्रेस, लाहौल एवं स्पिति  
डाकघर केलांग, जिला लाहौल-स्पिति, हिं० प्र०।
४. कु० गतुक आंगमों, पिन वैली, स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,


(वी०सी०फारका)  
मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी०बी०डी०(ए)४-४ / २००७, दिनांक शिमला—२,  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

१ अप्रैल, २०१७

१. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला—१७१००२।
२. प्रधान सलाहकार मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला—१७१००२।
३. निजि सचिव, अध्यक्ष हिं०प्र० विधान सभा, शिमला—१७१००४।
४. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—१७१००२।
५. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—१७१००२।
६. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
७. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
८. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिं० प्र०।
९. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश।
१०. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिं०प्र०।
११. परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी० किन्नौर, केलांग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
१२. समस्त गैर सरकारी सदस्यगण जन जातीय सलाहकार परिषद् उपरोक्त सम्बन्धित विशेष आमन्त्रितों को।
१३. संयुक्त सचिव(टी डी)जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—१

14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैकटर 9-ए, चण्डीगढ़-160017
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्बवाई हेतु अग्रेषित है।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्बवाई हेतु।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र०, शिमला-5 को उक्त अधिसूचना को हि० प्र० राजपत्र(असाधारण) में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें।
18. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

  
(प्रमोद सिंह चौहान)  
अवर सचिव(जन जातीय विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
फोन 01772622188